वा0नि0 / अधी0अभि0 / सं0आ0आ0 / मु0वा0नि0 / सचिव / आवास आयुक्त(म0)

कृपया सम्मुख पक्ष पर संलग्न प्रस्तुत प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफोंडेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप सम्बंधी आवास अनुभाग-1,उ0प्र0,शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1855 / आठ-1-17-80 विविध / 2010 दिनांक 5-9-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को 30,000 नग भवनों का निर्माण सम्पूर्ण उ0प्र0 में किया जाने का लक्ष्य प्रदान किया गया है शासनादेश के साथ संलग्न एक इकाई एवं एक क्लस्टर का अनुमोदित विन्यास संलग्न किया गया है सन्दर्भित शासनादेश के अनुपालन में परिषद के मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक-3720 / पी0एम0ए0वाई0 / 2017 दिनांक 18-9-2017 द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उक्त 30,000 भवनों एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 29136 भवनों सहित कुल 59136 भवनों के सापेक्ष खण्ड वार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसकी सूची संलग्न है।

अवगत कराना है कि पूर्व में अवध विहार योजना के सेक्टर-10बी, ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 हेतु जोनल डवलपमेंन्ट प्लान में स्वीकृति भूखण्ड (क्षेत्रफल 30325.18 वर्गमी0) पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु ले आउट प्लान आवास आयुक्त (म0) के स्तर से दिनांक-18-10-2017 **(पताका-क)**को स्वीकृत है, जबकि उक्त पाकेट से सटे हुए आवासीय भूखण्ड पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-7 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अवध विहार योजना में लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव अपने पत्र सं0-1762 / वाई-52 / 11 दिनांक-25-10-17 **(पताका-ख)**के माध्यम से सर्वे सहित प्रेषित किया गया है। जिसके अनुसार ले आउट प्लान तैयार करते हुए खण्ड कार्यालय के पत्रांक सं0-20 दिनांक-25-11-17 (पताका-ग) के माध्यम से प्रेषित किया गया था। जिसकी फिजिबिलिटी आख्या खण्ड द्वारा अपने पत्र सं0-1989 / वाई-52 / 27 दिनांक-27-11-17 (पताका-घ) के द्वारा प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार सेक्टर-10बी, में पूर्व स्वीकृत पाकेट (30325.18 वर्गमी0) तथा वर्तमान प्रस्तावित भूमि के विकास तथा अवस्थापना सुविधाओं की एकीकृत रूप से नियोजन के दृष्टिगत दोनों भूखंण्डों को समेकित कर ले आउट प्लान तैयार कर निम्न प्राविधान दर्शाए गये हैं, जिसमें भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथा संशोधित-2017 के अध्याय-24 के अनुसार निर्माण पैरामीटर्स निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :-

1. भूमि का क्षेत्रफल : 49594.45 व0मी0।
2. भूमि की लोकेशन : सेक्टर-10 बी, अवध विहार योजना लखनऊ।
3. भूमि के सामने की ओर स्थित सड़क की चौड़ाई : 18.00 मीटर ।
4. अनुमोदित जोनल प्लान में उक्त भूमि का भू-उपयोग : आवासीय।
5. प्रस्तावित इकाईयाँ : 2128 नग।

कमांक	विवरण	अनुमन्य निर्माण पैरामीटर्स	प्रस्तावित निर्माण पैरामीटर्स
1.	भूमि का क्षेत्रफल	निर्धारित नहीं	49594.45 व0मी0
2.	एफ0ए0आर0	2.00	1.48
3.	भू-आच्छादन	50 प्रतिशत	37.18 प्रतिशत
4.	तलों की संख्या	G+3	G+3
5.	इकाईयों की संख्या 650 इकाई / हैक्टे0	3224 नग	2128 नग
6.	ब्लाक की संख्या	निर्धारित नहीं	41+5=46

7.	जनसंख्या घनत्व (05 व्यक्ति / इकाई)	16120 व्यक्ति	10640 व्यक्ति
8.	पार्किंग (02 पहिया वाहनों हेतु)	2128 नग	2350 नग
9.	फैसिलिटीज	उपविधि–2008 यथा संशोधित 2017 के अनुसार	कूड़ाघर, स्कूल, हैल्थसेन्टर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, ट्रान्सफार्मर, आंगनबाड़ी, पार्किंग, कन्विनिएन्ट शॉप्स पार्क प्ले ग्राउण्ड आदि।

विचारणीय बिन्दु :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत परिषद को दिये गये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भवनों के निर्माण हेतु परिषद को अपनी भूमि पर निर्माण किया जाना है, के सम्बंध में परिषद बोर्ड स्तर से निर्णय कराया जाना होगा।

अवगत कराना है कि स्वीकृत जोनल डवलपमेन्ट प्लान में प्रश्नगत भूखण्ड ई0डब्लू0एस0 / एल0आई0जी0 एवं आवासीय हेतु आरक्षित हैं, जिसका विस्तृत ले आउट प्लान तैयार किये जाने में प्रस्तावित जनसंख्या के सापेक्ष सुविधाओं का प्राविधान किया गया है तथा 18.00 मीटर चौड़ी सड़क की ओर विकयशीलता के दृष्टिगत छोटे व्यवसायिक भूखण्डों को दर्शाते हुए जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के इस भू–भाग में आंशिक भू–उपयोग परिवर्तन किया गया है। जिस हेतु आवास आयुक्त महोदय, के कार्यालय आदेश संख्या–45 / नि0प्रा0–10341 / दिनांक 04–4–2003 के अनुसार स्वीकृत ले आउट प्लान में संशोधन से पूर्व सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, व संयुक्त आवास आयुक्त (जोन) से उनका अभिमत / संस्तुति पत्रावली पर प्राप्त करते हुए तदोपरान्त ले आउट प्लान को आवास आयुक्त महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ / हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

सहमति की दशा में प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराते हुए अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

28-11-17 AAP

28/11/17 A.P.IV

28/11/17 उप आवास आयुक्त लखनऊ जोन

28.11.17 (डी0एन0दीक्षित) अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय वृत्त)

आवास आयुक्त

28.11.17.

– ले-आउट यथाप्रस्तावित अनुमोदित।
– CE को पूर्व स्थिति से अवगत भी करायें।

28/11/17